tacking different targets all over India.

10. to smuggle fire arms, ammunition, detonators, hand-grenades and high explosive like RDX into India, and distribute the same amongst their men of confidence, for the purpose of terrorising and waging war against the Government of India;

11. to store and conceal such fire arms, ammunition, detonators, hand-grenades and explosives at such safe places with their men of confidence till its use for achieving the objective of the criminal conspiracy and to dispose off the same through men of their confidence;

12. to do and commit any other illegal acts as were necessary for achieving the aforesaid objectives of the criminal conspiracy referred to above through their men of confidence.

(b). Investigation has not disclosed involvement of any politician in the Bombay blast so far.

गृह सचिव द्वारा जारी आदेश

2938. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के संबंध में गृह सचिव ने गृह मंत्री की विदेश यात्रा के दौरान कोई आदेश जारी किया था;

(ख) क्या आई०पी०एस० अधिकारियों ने इसका काफी विरोध किया था;

(ग) इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(घ) गृह सचिव द्वारा किन परिस्थितियों में उक्त आदेश जारी किया गया और गृह मंत्री ने इसे निरस्त क्यों किया?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) से (घ) जिन राज्यों में पुलिस महानिदेशक स्तर के शीर्ष पद का वेतनमान 7600—8000 रु० है उन राज्यों में 7300—7600 रु० के वेतनमान में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के संवर्ग-बाह्य पद के सृजन के बारे में 15.2.1994 को हुई सचिवों की समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, इस मंत्रालय द्वारा 27/31.5.94 को एक पत्र जारी किया गया। सचिवों की समिति के अनुसार, चूंकि इस वेतनमान का पद भा०पु० सेवा की राज्य वेतन अनुसूची में उपलब्ध नहीं कराया गया है, इसलिए इस पद को बनाए रखना अनधिकृत है, और इन पदों पर कार्य कर रहे अधिकारियों को जितनी जल्दी हो सके संवर्ग-पदों पर स्थानांतरित किया जाए और रिक्त पद न होने पर उन्हें पदावनत कर दिया जाये और इस वेतनमान में किसी नए पद की अनुमति न दी जाये। तथापि, परिपत्र जारी होने के बाद, मामले पर पुनः विचार किया गया और गृह मंत्री के स्तर पर यह निर्णय लिया गया कि संदर्भाधीन परिपत्र में निहित अनुदेशों के अमल पर रोक लगा दी जाए। तदनुसार, 17.6.1994 को परिपत्र जारी किया गया जिसमें राज्य सरकारों को यह सूचित किया गया कि, आगे आदेश देने तक 27/31.5.1994 को गृह मंत्रालय के पत्र में निहित निर्देशों को अस्थगित रखा जाये।

Slaying of US Tourist

2939. PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the attention of Government has been drawn to the newsitem entitled "Mystery about slaying of US tourist deepens" appearing in the 'Hindustan Times' of 23rd July, 1994;

((b) if so, the facts thereof;

(c) what is the reaction of Government thereto; and

(d) whether there is any proposal to take up again with the US Administration the question of getting Pakistan declared a terrorist country in the wake of the slaying of a US tourist;

(e) if so, the details thereof; and

(f) the reaction of the US Administration?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI RAJESH PILOT): (a) to (c) Government are aware of the report. An American national Stephen Paul was

killed in Srinagar on 19-7-1994. Investigation of the case has been handed over to a Special Investigation Team by the Government of J & K. It would be premature to indicate any further details at this stage.

(d) to (f) Government have consistently been apprising the international community, including the US Government, through diplomatic and other channels, about the sponsorship of cross-border terrorism by Pakistan, and the dangers inherant in continuation of such support of terrorism by Pakistan. Government will continue to pursue these efforts intensively.

पूजा स्थल पर सुरक्षा-बलों की तैनाती

2940. **मौलाना ओबैदुल्ला खान आज़मी:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तीर्थ स्थलों और पूजा स्थलों के आसपास सुरक्षा बलों/सैनिकों को बारंबार तैनात किये जाने की प्रवृत्ति आजकल बढ़ गयी है;

(ख) क्या इन्हें बारंबार तैनात किये जाने से देश के रक्षा कर्मियों का साम्प्रदायिकीकरण हो रहा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इस खतरनाक प्रवृत्ति से रक्षा कर्मियों को बचाने के लिए क्या उपाय कर रही है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०एम० सईद): (क) केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों इत्यादि को राज्यों के विशेष अनुरोध पर, लोक-व्यवस्था बनाए रखने के लिए, जो राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, उन की सहायता के लिए तैनात किया जाता है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दंगों और उपद्रवों में वृद्धि

2941. **मौलाना ओबैदुल्ला खान आज़मी:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि वर्तमान सरकार के शासन काल में दंगे और उपद्रव बढ़े हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन दंगों और उपद्रवों में अधिक नुकसान अल्पसंख्यकों का हुआ है;

(ग) क्या यह भी सच है कि अधिकांश दंगे और उपद्रव सुनियोजित ढंग से किये गये थे और सरकार ने उनको रोकने के लिए कोई प्रभावकारी कदम नहीं उठाये थे;

(घ) इस सब के बारे में विस्तृत ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या हाल ही में बारपेटा, असम में अल्पसंख्यकों का नरसंहार किया गया और उस समय केन्द्र के मंत्रीगण भी वहां मौजूद थे; और

(च) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) दंगों में सभी समुदायों के लोग प्रभावित होते है। तथापि, समुदाय-वार ब्यौरा नहीं रखा जाता है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) से (च) असम के बारपेटा जिले में 19 से 24 जुलाई, 1994 तक व्यापक हिंसा हुई है। असम-राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, 19 जुलाई, 1994 को बारपेटा जिले के बारपेटा थाना क्षेत्र में बोड़ो और गैर-बोड़ो लोगों के बीच जातीय हिंसा भड़क उठी। इन वारदातों से प्रभावित हुए गांव हैं-मतंगा, बोन्साजापाथर, नरसिंहबाड़ी, भाकुआपाथर, धेकियाजानी, देन्साजापथर, बिलासीपाड़ा, खरसागुड़ी, सेलाकण्डी, चारवाड़ी, निमुआ, चेंगलीमारी, बोकलीजान, हरनपाड़ा, दोलाइपुरा, चकुआगुड़ी, बोरघोपे, नोरइझार और कटाझार। 19 जुलाई, 1994 को भड़की हिंसा 20 और 21 जुलाई, 1994 को अन्य गांवों में फैल गई। 19—21 जुलाई, 1994 के बीच हुई हिंसात्मक वारदातों के परिणामस्वरूप 250 मकानों को आग लगा दी गई तथा 16 व्यक्तियों को जान से हाथ धोना पड़ा। एक मामले में, 20 जुलाई, 1994 को पुलिस की गोलीबारी के कारण तीन शरारती तत्वों के मारे जाने की खबर है। 21 जुलाई के अपराह्न के बाद से 23 जुलाई, 1994 की रात तक कोई वारदात नहीं हुई। 23 और 24 जुलाई, 1994 के बीच की रात को गैर-कानूनी बोड़ो सिक्यूरिटी फोर्स के उग्रवादियों ने बांसबाड़ी स्थित राहत शिविर पर पहरा दे रहे पुलिस दल तथा शिविर में शरण लिए हुए लोगों पर आक्रमण कर दिया। पुलिस दल ने जवाब में गोली चलाई। बोड़ो सिक्यूरिटी फोर्स के उग्रवादियों ने शिविर के दो तरफ से ट्रेसर बुलेट्स से फायरिंग शुरू कर दी जिसमें छप्पर वाले मकानों में आग लग गई।